[18/12/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 150]

विधानसभा तारांकित प्रश्न कमांक 150 के प्रश्नांश ''क'' का परिशिष्ठ ''अ'' कुल पृष्ठ -1
प्रश्नकर्ता विधायक :— श्री सुशील कुमार तिवारी चर्चा का दिनांक 18.12.2024

जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत शासकीय अस्पतालों में प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्र की प्रसूताओं को राशि रू. 1400/—, शहरी क्षेत्र की प्रसूताओं को राशि रू. 1000/— तथा घर पर प्रसव होने पर बी.पी.एल. प्रसूताओं को राशि रू. 500/— की सहायता राशि दी जाती है, इस योजना में बच्चों की कोई सीमा बंधनकारी नही है। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना अन्तर्गत श्रमिक संवर्ग की महिलाओं को दो जीवित जन्मों तक प्रथम गर्भावस्था होने पर राशि रू. 1000/— (राशि रू. 3000/— महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा) गर्भावस्था का पंजीयन प्रथम तिमाही में होने पर तथा प्रसव होने पर योजना की पात्रतानुसार शहरी क्षेत्र की प्रसूताओं को राशि रू. 11000/— तथा ग्रामीण क्षेत्र की प्रसूताओं को राशि रू. 10600/— प्रदान की जाती है। द्वितीय गर्भावस्था होने पर राशि रू. 4000/— गर्भावस्था का पंजीयन प्रथम तिमाही में होने पर तथा प्रसव होने पर योजना की पात्रतानुसार शहरी क्षेत्र की प्रसूताओं को राशि रू. 11000/— तथा ग्रामीण क्षेत्र की प्रसूताओं को राशि रू. 10600/— प्रदान की जाती है। इस प्रकार कुल 16000/— राशि प्रदान की जाती है।

4/12/24

(डॉ. अर्चना मिश्रा)
वरि. संयुक्त संचालक
मातृ स्वास्थ्य, एन.एच.एम.
मध्यप्रदेश